न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

| मु0नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 277/2024 | 19.07.2024 | 16.08.2024 |

पीठासीन अधिकारी– शत्रुध्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हरिशंकर आत्मज राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये वलिया माता श्रीमती संतोष पत्नी राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी )

बनाम

1– हेमन्त कुमार आत्मज स्व0 महेन्द्र नाबालिग

2– पूजा पुत्री स्व0 महेन्द्र नाबालिग

3– ज्योति पुत्री स्व0 महेन्द्र नाबालिग
जरिये वलिया माता निर्मला बाई पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति मीणा निवासीगण आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

4– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि वादी के खाता नं0 नया 184 पर ग्राम आटोन तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 600/554 की 1.60 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2– यह कि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के शामलाती खाते में ग्राम आटोन तहसील दीगोद में खाता संख्या 186 पर खसरा नम्बर 189 की 1.76 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

3– यह कि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन हुआ था जिसके आधार पर खसरा नम्बर 189 की 1.76 हेक्टर भूमि वादी के हिस्से में आयी तथा खसरा नम्बर 600/554 की 1.60 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हिस्से में आयी थी।

4– यह कि वादी का खसरा नम्बर 189 की 1.76 हेक्टर में से 1.60 हेक्टर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 600/554 की भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का कब्जा चला आ रहा है। इस कारण खसरा नम्बर 189 की 1.60 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज किया जाना तथा खसरा नम्बर 600/554 की 1.60 हेक्टर भूमि वादी के खाते से हटायी जाकर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के खाते दर्ज किया जाना व खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

5– यह कि राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त प्रकार से खातेदारी दर्ज कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 1.07.2024 को इन्कार कर दिया।

6— यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

7— यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा वादी को खसरा नम्बर 189 की 1.60 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित करने से दिनांक 01.07.2024 को इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे किः—

1— कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 600/554 की 1.60 हेक्टर भूमि वादी के खाते से हटा कर प्रतिदादी नं0 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने व खातेदार घोषित किया जावे।

2— कि वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 189 की 1.76 हेक्टर में से 1.60 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के खाते से हटा कर वादी के नाम दर्ज किये जाने व खातेदार घोषित किया जावे।

3— कि अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम आटोन सम्वत 2074—77
2— नकल जमाबन्दी ग्राम आटोन सम्वत 2074—2077
3— नकल जमाबन्दी ग्राम आटोन सम्वत 2035—2038
4— नकल जमाबन्दी ग्राम आटोन सम्वत 2035—2038
5— नकल सेटलमेन्ट विभाग
6— नकल सेटलमेन्ट विभाग
7— नकल जमाबंदी ग्राम आटोन

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा मय जवाब दावा सहमति का पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उभय पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से सहमति से राजीनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादी के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी के अधिवक्ता श्री छीतरलाल गोचर एडवाकेट द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा करवायी गयी।

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः—

1— कि वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 600/554 की 1.60 हेक्टर भूमि वादी के खाते से हटा कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने व खातेदार घोषित किया जावे।

2— कि वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 189 की 1.76 हेक्टर भूमि मे से 1.60 हेक्टर दक्षिण दिशा की भूमि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के खाते से हटा कर वादी के नाम दर्ज किये जाने व खातेदार घोषित किया जावे। तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 189 की रकबा 0.16 हेक्टर भूमि पश्चिम दिशा प्रार्थी के खाते में रहेगी। राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि राजीनामा तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करें।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

पत्रावली बहस पर नियत की गयी। वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं संलग्न अन्य रिकार्ड व राजीनामा के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगण में राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र उभय पक्षकारान में आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सहमति से राजीनामा होने पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम आटोन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 600/554 रकबा 1.60 हेक्टर भूमि वादी के खाते से हटा कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम दर्ज करने व खसरा नम्बर 189 की रकबा 1.76 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर पश्चिम दिशा की, का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा ग्राम आटोन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 1.76 हेक्टर में से 1.60 हेक्टर दक्षिण दिशा की प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर , वादी के खाते दर्ज की जावे उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

स्वीकृत प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज होनी है। वादी– हरिशंकर आत्मज राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये वलिया माता श्रीमति संतोष पत्नी राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी आटोन के खाते में दर्ज रहेगी।

| नाम ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | दिशा |
|---|---|---|---|
| आटोन | 189 | 1.76 हेक्टर में से 1.60 हेक्टर | दक्षिण |

प्रतिवादीगण– हेमन्त कुमार आ0 स्व0 महेन्द्र ना0बा0, पूजा पुत्री स्व0महेन्द्र ना0बा0, ज्योति पुत्री स्व0 महेन्द्र ना0बा0 वलिया माता निर्मला बाई पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति मीणा निवासीगण आटोन के खाते में निम्न भूमि रहेगीः–

| नाम ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | दिशा |
|---|---|---|---|
| आटोन | 189 | 1.76 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर | पश्चिम |
| आटोन | 600/554 | 1.60 हेक्टर | सम्पूर्ण |

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। तथा राजीनामा अनुसार वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार उपरोक्त तालिका अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
**दीगोद**

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– शत्रुध्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हरिशंकर आत्मज राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये वलिया माता श्रीमती संतोष पत्नी राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी )

बनाम

1– हेमन्त कुमार आत्मज स्व0 महेन्द्र नाबालिग

2– पूजा पुत्री स्व0 महेन्द्र नाबालिग

3– ज्योति पुत्री स्व0 महेन्द्र नाबालिग जरिये वलिया माता निर्मला बाई पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति मीणा निवासीगण आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

4– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती

मिसल नं 277/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र उभय पक्षकारान में आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सहमति से राजीनामा होने पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम आटोन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 600/554 रकबा 1.60 हेक्टर भूमि वादी के खाते से हटा कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम दर्ज करने व खसरा नम्बर 189 की रकबा 1.76 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर पश्चिम दिशा की, का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा ग्राम आटोन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 1.76 हेक्टर में से 1.60 हेक्टर दक्षिण दिशा की प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर , वादी के खाते दर्ज की जावे उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

स्वीकृत प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज होनी है। वादी– हरिशंकर आत्मज राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये वलिया माता श्रीमति संतोष पत्नी राजेश उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी आटोन के खाते में दर्ज रहेगी।

| नाम ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | दिशा |
|---|---|---|---|
| आटोन | 189 | 1.76 हेक्टर में से 1.60 हेक्टर | दक्षिण |

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण– हेमन्त कुमार आ0 स्व0 महेन्द्र ना0बा0, पूजा पुत्री स्व0महेन्द्र ना0बा0, ज्योति पुत्री स्व0 महेन्द्र ना0बा0 वलिया माता निर्मला बाई पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति मीणा निवासीगण आटोन के खाते में निम्न भूमि रहेगी:–

| नाम ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा | दिशा |
|---|---|---|---|
| आटोन | 189 | 1.76 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर | पश्चिम |
| आटोन | 600/554 | 1.60 हेक्टर | सम्पूर्ण |

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। तथा राजीनामा अनुसार वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार उपरोक्त तालिका अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदई | रूपयै | पैसे | मुदालयह | रूप्ये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)